न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

प्रकरण 116/19 सरकार बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
18.10.19	वकील [illegible] महोदय [illegible] दौरे पर/अ[illegible] अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 25.10.19 को पेश हो। रीडर, उपखण्ड अधिकारी मेड़ता	
25.10.19	[illegible] नोटिस पेश होने पर तलबी [illegible] 1.11.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)	
1.11.19	[illegible] नोटिस पेश होने पर तलबी [illegible] 1.11.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)	
1.11.2019	निर्णय [illegible] तहसीलदार मेड़ता के [illegible] जी ने तहसीलदार मेड़ता के [illegible] आधार पर घोषित करने की तहसीलदार की कार्यवाही [illegible] किया गया। तहसीलदार मेड़ता ने जो राजा घोषित करने की रिपोर्ट पेश की उसमें [illegible] 76/2016 दि. 25.5.16 का पत्रक आदेश कमर 10 पर अधिकार की मानीय राजस्व अपील अधिकारी [illegible] 2011/2616 दि 4.5.11 की स्पष्टता की (3) [illegible] मानीय राजस्व मण्डल राजस्थान [illegible] 2011/2716 दिनांक 4.5.11 की स्पष्टता आदेश है। पूर्व स्पष्टता [illegible] उपखण्ड अधिकारी मेड़ता एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान का स्पष्ट आदेश है। ऐसी स्थिति में राजा घोषित किया जाना संभव नहीं होने से तहसीलदार मेड़ता द्वारा राजा घोषित करने का प्रार्थना [illegible] कार्यवाही Drop की जाती है। पत्रावली निस्तारण होकर [illegible] कार्यवाही [illegible] समाप्त हो। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.11.29 13:00:43 IST
Reason: SelfAttested